रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 23 अक्तूबर, 1979/1 कार्तिक, 1901

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक (नियुक्ति-II) विभाग

अधिसूचनायें

शिमला-2, 26 सितम्बर, 1979

सं० कार्मिक (नियुक्ति-II)ए(3) 1/78.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से और राज्य के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 115 की उप-धारा (7), पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 की उपधारा (6) के परन्तुक और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 42 की उपधारा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व सहमति से, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (समय पूर्व सेवा निवृति) नियमावली, 1979 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में अधिसूचित होने की तारीख से लागू समझी जायेगी।

1934-राजपत्र-23-10-79—1,024. (2429) मूल्य : 20 पैसे।

2. परिभाषा.--इस नियमावली में स्पष्ट रूप से या अन्यथा उपबन्धित आशय के सिवाय निम्नलिखित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो इनके सामने नीचे लिखे गये हैं :--

(1) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (उच्च न्यायालय के परामर्श से) है ।

(2) 'सेवा' का अर्थ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा है ।

(3) 'कर्मचारी' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य है।

(4) 'अर्हक सेवा' का अर्थ है, पैंशन के लिये अर्हक सेवा ।

3. समय पूर्व सेवा निवर्तन.--(1) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में ऐसा करना जनहित में हो तो उसे सेवा के किसी कर्मचारी को तीन महीनों का लिखित नोटिस या नोटिस के बदले तीन महीनों का वेतन और भत्ते देकर सेवा निवर्तित करने का पूर्ण अधिकार है, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी ने--

(क) 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, या
(ख) निम्नलिखित आयु प्राप्त कर ली हो--

(1) 50 वर्ष ऐसे कर्मचारी के लिए जो 35 साल की आयु हो जाने से पहले नौकरी में आये हों;

(2) 55 वर्ष सेवा के अन्य कर्मचारियों के लिये :

परन्तु जिस कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस न दिया जाये या तीन महीनों से कम अवधि का नोटिस दिया जाये तो वह कर्मचारी, तीन मास या जितनी अवधि का नोटिस तीन मास से कम हो, के वेतन तथा भत्ते उसी दर से लेने का हकदार होगा जिस दर से वह सेवा निवर्तन के एक दम पहले की तारीख को ले रहा था, लेकिन सक्षम प्राधिकारी नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले किसी समय भी, नोटिस की सारी अवधि या शेष बची हुई अवधि के बदले में वेतन दे कर कर्मचारी की सेवा निवर्तित कर सकता है ।

2. कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन मास का पूर्व नोटिस देकर उस दिन सेवा निवृत हो सकता है जिस दिन वह--

(क) 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेता है, या
(ख) निम्नलिखित आयु प्राप्त कर लेता है :--
(1) 50 वर्ष ऐसे कर्मचारियों के लिये जो 35 वर्ष की आयु हो जाने से पहले सरकारी नौकरी में आये हों, और
(2) 55 वर्ष अन्य कर्मचारियों के लिये :

परन्तु किसी कर्मचारी को, जिसका सेवा रिकार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक समझा जाता है, कम से कम तीन मास का लिखित नोटिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त होने पर, 20 वर्ष की सेवा या 45 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर या उसके बाद, सेवा निवृत होने की स्वीकृति दी जा सकती है । सेवा के किसी भी सदस्य को जिसको इस प्रावधान के अन्तर्गत सेवा निवृत होने की स्वीकृति दी जाती है, अर्हक सेवा के रूप में पैंशन के लिये 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जायेगा ।

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, जो निलम्बित चल रहा हो या जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चालू हो या प्रस्तावित हो, या जिसके विरुद्ध सतर्कता का मामला/विभागीय जांच चल रही हो, सेवा निवृत होने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

4. सेवा निवृति पैंशन और उपदान.—जो कर्मचारी नियम 3 के अन्तर्गत सेवा निवृत होता है या जिसे सेवा निवर्तित किया जाता है, उसे सेवा निवृति पैंशन और मृत्यु-एवं निवृति उपदान (ग्रैच्युटी) मंजूर किया जायेगा । सेवा निवृति पैंशन और मृत्यु एवं निवृति उपदान (ग्रैच्युटी) सामान्य नियमों के अन्तर्गत निश्चित किया जायेगा जो सम्बन्धित कर्मचारी पर लागू होते हैं ।

5. अभिभावी प्रभाव.—यह नियमावली इस समय प्रचलित किसी अन्य नियमों में कोई विपरीत या उससे असंगत प्रावधान होने पर भी लागू मानी जायेगी ।

शिमला-2, 26 सितम्बर, 1979

सं० कार्मिक (नि-II)ए(3)1/78.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस बारे में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 की उप-धारा (7), पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 82 की उपधारा (6) के परन्तुक और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 की धारा 42 की उपधारा (18) के परन्तुक के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा (समय पूर्व सेवा निवृति) नियमावली, 1979 कहलायेगी ।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में अधिसूचित होने की तारीख से लागू समझी जायेगी ।

2. परिभाषा.—इस नियमावली में स्पष्ट रूप से या अन्यथा उपबन्धित आशय के सिवाय निम्नलिखित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो इनके सामने नीचे लिखे गए हैं :—

(1) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (उच्च न्यायालय के परामर्श से) है ।

(2) 'सेवा' का अर्थ हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा है ।

(3) 'कर्मचारी' से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा का सदस्य है ।

(4) 'अर्हक सेवा' का अर्थ है, पैंशन के लिए अर्हक सवा ।

3. समयपूर्व सेवा निवर्तन.—(1) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में ऐसा करना जनहित में हो तो उसे सेवा में किसी कर्मचारी को तीन महीनों का लिखित नोटिस या नोटिस के बदले तीन महीनों का वेतन और भत्ते देकर सेवा निवर्तित करने का पूर्ण अधिकार है, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी ने:—

(क) 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, या

(ख) निम्नलिखित आयु प्राप्त कर ली हो :—

1. 50 वर्ष ऐसे कर्मचारियों के लिए जो 35 वर्ष की आयु हो जाने से पहले नौकरी में आये हों,

2. 55 वर्ष अन्य कर्मचारियों के लिए :

परन्तु जिस कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस न दिया जाये या तीन महीने से कम अवधि का नोटिस दिया जाये तो वह कर्मचारी, तीन मास या जितनी अवधि का नोटिस तीन मास से कम हो, के वेतन तथा भत्ते उसी दर से लेने का हकदार होगा जिस दर से वह सेवा निर्वतन के एक दम पहले की तिथि को ले रहा था; लेकिन सक्षम प्राधिकारी नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले किसी समय भी, नोटिस की सारी अवधि या शेष बची हुई अवधि के बदले में वेतन दे कर कर्मचारी को सेवा निवर्तित कर सकता है।

(2) कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन मास का पूर्व नोटिस देकर उस दिन सेवा निवृत हो सकता है जिस दिन वह :—

(क) 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेता है; या
(ख) निम्नलिखित आयु प्राप्त कर लेता है :—
(1) 50 वर्ष ऐसे कर्मचारियों के लिए जो 35 वर्ष की आयु हो जाने से पहले सरकारी नौकरी में आये हों, और
(2) 55 वर्ष, अन्य कर्मचारियों के लिए :

परन्तु किसी कर्मचारी को, जिसका सेवा रिकार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक समझा जाता है, कम से कम तीन मास का लिखित नोटिस सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त होने पर, 20 वर्ष की सेवा या 45 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर या उसके बाद, सेवा निवृत होने की स्वीकृति दी जा सकती है। सेवा के किसी भी सदस्य को, जिस को इस प्रावधान के अन्तर्गत सेवा निवृत होने की स्वीकृति दी जाती है, अर्हक सेवा के रूप में पैंशन के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जायेगा :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को जो निलम्बित चल रहा है या जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चालू हो या प्रस्तावित हो, या जिसके विरुद्ध सतर्कता का मामला/विभागीय जांच चल रही हो, सेवा निवृत होने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

4. सेवा निवृति पैंशन और उपदान:—जो कर्मचारी नियम 3 के अर्न्तगत सेवा निवृत होता है या जिसे सेवा निवर्तित किया जाता है, उसे सेवा निवृति पैंशन और मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान (ग्रैच्युटी) मंजूर किया जायेगा। सेवा निवृति पैंशन और मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान (ग्रेच्युटी) सामान्य नियमों के अन्तर्गत निश्चित किया जायेगा जो सम्बन्धित कर्मचारी पर लागू होते हैं।

5. अभिभावी प्रभाव—यह नियमावली, इस समय प्रचलित किसी अन्य नियमों में कोई विपरीत या इससे असंगत प्रावधान होने पर भी, लागू मानी जाएगी।

एल0 एच0 तोछांग,
मुख्य सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।